न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास– श्री अरूण कुमार पुरोहित,आई.ए.एस.

रसद मामला संख्या– 172 / 2024
जी.सी.एम.एस.पोर्टल नम्बर–2024 / 203

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
राजस्थान सरकार जरिये जितेन्द्र बंशीवाल, प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद कार्यालय, नागौर		1. श्री भरत भाटी पुत्र श्री भींयाराम भाटी मैसर्स बाबा रामदेव जनरल स्टोर स्कीम बाजार ताउसर नागौर

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) श्री शिवराम चौधरी।
2. अप्रार्थी संख्या 1 ओर से वकील श्री श्रवण बड़ियासर।

:: **निर्णय** :: **दिनांक** :– 21.01.2025

1. प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में प्रकरण मे जब्तसुदा 5 गैस सिलेण्डर मय गैस को राजसात करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. अप्रार्थी को जरिऐ नोटिस वास्ते जबाब देही तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से वकील श्री श्रवण बड़ियासर उपस्थित हुवें,जिन्होंने प्रकरण का जबाब प्रस्तुत नहीं करे सीधे ही बहस करने का निवेदन किया गया।

3. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने बहस में कथन किया कि घरेलू गैस की व्यवसायिक दुरूपयोग की रोकथाम बाबत नागौर शहर एवं आसपास क्षेत्र में श्री देवाराम सारण जिला रसद अधिकारी, नागौर के नेतृत्व में श्री बजरंग प्रवर्तन निरीक्षक एवं श्री करण सिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा दिनांक 03.09.2024 को मैसर्स बाबा रामदेव जनरल स्टोर स्कीम बाजार ताउसर पर आकस्मिक जांच की कार्यवाही की। मौके पर श्री भरत भाटी पुत्र श्री भीयांराम भाटी निवासी स्कीम बाजार ताउसर उपस्थित मिलें जिन्होनें दुकान का निरीक्षण करवाया। मौके पर दुकान में 5 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर भण्डारण किये हुए पाये गये। श्री भरत भाटी से घरेलू गैस के भण्डारण एवं विक्रय से सम्बन्धित किसी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञापत्र के बारे मे पूछताछ करने पर इनके पास घरेलू गैस को भण्डारण से सम्बन्धित किसी प्रकार का आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र नही होना स्वीकार किया। श्री भरत भाटी द्वारा किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नही करने पर भण्डारित 5 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय गैस को अवैध मानते हुए मौके पर जब्त सरकार किया गया। जब्त किये गये सिलेण्डरों का विवरण निम्नानुसार है

क्र.सं.	नाम कम्पनी	एस.आर.नं.	गैस वजन
1	एचपीसीएल	2030312-S	14.2 किग्रा
2	एचपीसीएल	195290-S	14.2 किग्रा
3	एचपीसीएल	04489-S	14.2 किग्रा
4	एचपीसीएल	201233-E	14.2 किग्रा
5	एचपीसीएल	355613-S	14.2 किग्रा

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

उपरोक्त 5 गैस सिलेण्डरों को मय गैस मौके पर जब्त सरकार कर मैसर्स गहलोत गैस नागौर के प्रतिनिधि श्री प्रणय गहलोत की सुपुर्दगी मे दिये गये हैं। इस प्रकार श्री भरत भाटी का यह कृत्य लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर, –2000 के क्लॉज 3 (c), 7(1)(a),(b),(c) का स्पष्ट उल्लघंन हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम ए 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रकरण मे जब्तसुदा 5 गैस सिलेण्डर मय गैस को धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियमए 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (Confiscation) के आदेश प्रदान किया जावें।

4. विद्वान वकील अप्रार्थी का कथन हैं कि प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना–पत्र केवल विभागीय टारगेट पूरा करने की दृष्टि से कार्यवाही करते हुवे पेश किया हैं। हमारे द्वारा किसी प्रकार का कोई भण्डारण नहीं किया गया हैं। प्रार्थना–पत्र में झूठे तथ्य दर्ज किये हैं। प्रार्थना–पत्र प्रार्थी का खारिज होने से खारिज फरमाया जावें।

5. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध मौका फर्द अनुसार टीम द्वारा मौके पर दुकान में 05 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर भण्डारण किये हुए पाये गये। श्री भरत भाटी से घरेलू गैस के भण्डारण एवं विक्रय से सम्बन्धित किसी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञापत्र के बारे मे पूछताछ करने पर इनके पास घरेलू गैस के भण्डारण से सम्बन्धित किसी प्रकार का आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र नही होना स्वीकार किया। इस फर्द पर अप्रार्थी स्वयं के हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा बिना किसी आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र के घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर का भण्डार किया जा रहा था,जिसे टीम द्वारा विधिक कार्यवाही करते हुवे जब्त किया गया हैं। इसलिए प्रार्थना–पत्र प्रार्थी का स्वीकार किया जाकर प्रकरण मे जब्तसुदा 05 गैस सिलेण्डर मय गैस को धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियमए 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (Confiscate) के आदेश प्रदान किये जाते हैं। उक्त जब्त सुदा 05 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस का कीमतन निस्तारण करने का जिला रसद अधिकारी,नागौर को निर्देश दिया जाता हैं। उक्तानुसार प्राप्त राशि राजकीय राशि घोषित की जाती हैं आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 21.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर,
नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर